कार्यालय अंचल अधिकारी, पीरटाँड़।

आदेश फलक

अभिलेख संख्याः– 03/22–23
अभिलेख का प्रकारः– राजस्व विविध वाद
मुनवा देवी बनाम यशोदा देवी

10.03.2023	यह अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक 299 दिनांक 02.03.2023 के आलोक में खोला गया। पत्र के साथ श्रीमती मुनवा देवी ग्राम कर्णपुरा पो0 कुम्हरलालो, थाना पीरटांड़ का आवेदन संलग्न है। जिसमें उल्लेखित है कि मुनवा देवी पति श्री रामेश्वर तुरी ग्राम कर्णपुरा, पो0 कुम्हरलालो के द्वारा लालजीत तुरी पिता रामधनी तुरी से मौजा कर्णपुरा में खाता न0 45 प्लॉट न0 45 रकवा 1.02 ए0 भूमि क्रय किया गया है। इसी भूमि के बगल में रहने वाले यशोदा देवी पति स्व0 चुरामन सिंह के द्वारा पहले से ही मुकदमा कर परेशान किया जा रहा है। और कानूनी दांव पेंच में फंसाकर प्रताडित किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 28.04.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, पीरटांड़।
28.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जॉच प्रतिवेदन अनुसार वादगत भूमि मौजा कर्णपुरा थाना न0 20 के खाता न0 45 प्लॉट न0 45 रकवा 1.02 एकड़ भूमि, सर्वे खतियान आहलो ग्वाला वल्द रामचंद के नाम रैयती खाते की दर्ज है। इसी भूमि पर प्रथम पक्ष मुनवा देवी पति रामेश्वर तुरी ग्राम कर्णपुरा एवं द्वितीय पक्ष मोसमात यशोदा देवी पति स्व0 चुरामन सिंह ग्राम कर्णपुरा के बीच विवाद चल रहा है। प्रथम पक्ष को यह भूमि निबंधित केवाला संख्या 3156 दिनांक 02.08.1999 द्वारा केता मुनवा देवी पति रामेश्वर तुरी मौजा कर्णपुरा एवं विकेता लालजीत तुरी वल्द रामधनी तुरी से कय किया गया है। जिसकी जमाबंदी ऑनलाइन पंजी 2 के पृष्ठ 32/3 पर कायम है। द्वितीय पक्ष द्वारा वादगत भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और न हीं उनके नाम भूमि की कोई जमाबंदी चल रही है। उभय पक्षकारों को नोटिश निर्गत कर वादगत भूमि पर अपने दावा दखल से संबंधित दस्तावेजों की मांग करें। अभिलेख दिनांक 12.05.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, पीरटांड़।

Scanned by CamScanner

12.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षकार उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावा से संबंधित दस्तावेजों में केवाला संख्या 3156 दिनांक 02.08.1999 प्रस्तुत किया गया जिसमें केता मुनवा देवी पति रामेश्वर तुरी मौजा कर्णपुरा एवं विक्रेता लालजीत तुरी वल्द रामधनी तुरी से क्रय किया गया है। भूमि का विवरणः– मौजा कर्णपुरा थाना न0 20 के खाता न0 45 प्लॉट न0 45 रकवा 1.02 एकड़ है। प्रथम पक्ष के नाम पंजी 2 के पृष्ठ 32/3 पर मुनवा देवी पति रामेश्वर तुरी के नाम मौजा कर्णपुरा थाना न0 20 खाता न0 45 प्लॉट न0 45 रकवा 1.02 ए0 भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम है। जमाबंदी में परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज केस न0 49/99–2000 दर्ज है एवं लगान रसीद 2022–23 तक निर्गत है। द्वितीय पक्षकार के यशोदा देवी पति स्व0 चुरामन सिंह के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि यह भूमि मुझे सिविल अपील न0 05/2019, सी0एन0आर0 न0 JHGR-01-000878-2019 में पारित आदेश के अनुसार प्राप्त है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में टाइटल देते हुए प्रथम पक्षकार के केवाला को खारिज किया गया है फिर भी प्रथम पक्ष के लोग जबरदस्ती इस भूमि पर दखल कर रहे हैं और हमारे साथ गाली गलौज करते रहते हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय में पारित आदेश की पूरी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रथम पक्ष का कहना है कि हमें न्यायालय में पारित के आदेश की जानकारी नहीं है। द्वितीय पक्षकार अगली तिथि को सिविल अपील न0 05/2019 में पारित पूरे आदेश की प्रति प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक 30.05.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, पीरटांड़।
30.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षकार उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा कोई भी नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। द्वितीय पक्षकार द्वारा कोर्ट डिस्ट्रीक्ट जज III गिरिडीह में दायर सिविल अपील न0 05/2019 के आदेश की प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश करते हुए वादगत भूमि पर प्रथम पक्ष के केवाला संख्या 3156 दिनांक 02.08.1999 को अवैध घोषित करते हुए द्वितीय पक्ष का टाइटल घोषित किया गया है। अभिलेख आदेश पर रखें। अंचल अधिकारी, पीरटांड़।

Digitally signed by BINAY PRAKASH TIGGA
Date: 2023.07.17 16:02:12 +05:30
Location: 192.168.254.61

Scanned by CamScanner